राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय

क्रमांक–प0 13(7)(4)विधि/कोर्ट केस/अभि0/2023/4682–728 दिनांक –26.05.2023

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) 5191/2021 सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2022 एवं उक्त प्रकरण में पेश विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 2034/2022 में पारित आदेश दिनांक 02 मई 2023 की पालना हेतु, इस विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश क्रमांक 4581–624 दिनांक 17.05.2023 के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसके क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका 5191/2021 में पेश विविध प्रार्थना पत्र 1849/2021 एवं 2034/2022 में पारित आदेश दिनांक 02 मई 2023 में यह आदेशित किया है कि :–

"The judgment of this Court including the one in Satender Kumar Antil's case (supra) is the law of the land.There is no question of anyone violating the principles laid down. Suffice for us to say that wherever this judgment is applicable, it's principles must be followed.------

We may note that apparently there are large number of cases arising especially in Uttar Pradesh and other States where the grievance made is that the judgment is not being followed. We consider appropriate that this order should be placed before the Chief Justice of the Allahabad High Court to ensure there is sufficient dissemination of information about this judgment.-----
-

Mr. Sidharth Luthra, learned Amicus Curiae submits that no material has been given to him to assist the Court qua the aspect of directions to prosecutors contained in this behalf in the order dated 21.03.2023 by CBI or the States/UTs. We direct the needful to be done within the maximum period of four weeks with advance copy to Mr. Luthra failing which the concerned Secretaries of the State Government or the Head of the prosecuting agencies or the persons looking to this aspect of the prosecuting agencies should remain present in Court. The circulation in this behalf should be made through the Director of Prosecution and training programmes be organized to keep on updating the Prosecutors in this behalf. ------

In pursuance to the details of UTs given to NALSA, by Mr. Gaurav Agrawal, learned Amicus Curiae for NALSA submits that steps are being taken and some more time may be given for the follow up action in this behalf by NALSA and the State Legal Services Authorities. ------

A chart has been placed before us which shows that some of the States/UTs are yet to file the compliance report (para [73(d)]. We cannot appreciate the non-compliance by the States i.e. Karnataka, Telangana, Haryana Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshdweep. Not only is it to be filed but copies have to be supplied so that the counsels assisting us are able to carry out their task.------"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय व आदेशों की अनुपालना हेतु निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/लोक अभियोजक को निम्न आदेशित किया जाता है कि:–

1. यह कि न्यायालय में जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु, यदि केस डायरी की आवश्यकता हो तो उसे समय पर न्यायालय को उपलब्ध करवाए एवं जमानत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय उपस्थित रहे;
2. यह कि न्यायालय में पेश जमानत प्रार्थना–पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु न्यायालय को सहयोग प्रदान करें;
3. यह कि पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत संवीक्षा रिपोर्ट हेतु, पत्रावली प्राप्त होती है, तो संवीक्षा रिपोर्ट में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 41 व 41ए की अनुपालना के संबंध में विशेष रूप से टिप्पणी अंकित करें;
4. यह कि यदि अभियुक्त ने किसी प्रकरण में अग्रिम जमानत प्राप्त की है, तो उस प्रकरण में अभियुक्त को नियमित जमानत हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 1 एस.सी.सी 676 में प्रतिपादित विधिक स्थिति की पालना सुनिश्चित कराएं;
5. यह कि कोई अन्वीक्षाधीन अभियुक्त का जिस प्रकरण में उसका विचारण किया जा रहा है, यदि उसने उक्त प्रकरण में अधिकतम सजा अवधि की आधी से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रहा है, तो यह तथ्य न्यायालय के ध्यान में लाया जाए।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन,राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. लोक अभियोजक, जिला एवं सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर
2. उपनिदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम/द्वितीय, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति अतिरिक्त लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक को पालनार्थ प्रेषित करें।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अभियोजन अधिकारीगण व सहायक अभियोजन अधिकारीगण को उक्त आदेश पालनार्थ पेश करें।
4. सूचना सहायक को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें।

24/6/2023
(आरती माहेश्वरी)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन(न्याय)